



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 05 / 2021



सरकार बनाम

मोहन पुत्र श्री जगदीश राय,
मैसर्स 13 चौवारा, कोडा चौक,
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपरिस्थित:


1. विभागीय पैरोकार स्टेट की ओर से
2. अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही.

॥ निर्णय ॥

दिनांक : 26.05.2022

1. गैरसायल के खिलाफ श्री सुरेशकुमार, प्रवर्तन अधिकारी(अभि0) कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत परिवाद प्रस्तुत किया है जिसके सक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.2021 को घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय व श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से मोहन पुत्र श्री जगदीशराय मैसर्स 13 चौवारा, कोडा चौक, श्रीगंगानगर की दुकान पर अवैध अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग के संबंध में जांच की गई। मौके पर गैरसायल उपस्थित मिला जिसके द्वारा स्वयं को इस दुकान का मालिक होना बताया गया। गैरसायल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। मौके पर भोजन बनाने व उपभोक्ताओं में विक्रय करने का कार्य किया जाता है। वक्त जांच मौके पर 03 एचपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डर (एस.आर.130665, 755329, 127764) बरामद किये गये। दुकान मालिक ने मौके से जब्त गैस सिलेण्डर के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया व न ही सिलेण्डर की कोई ब्ल्यू बुक मौके पर पेश की गयी। मौके पर कोई भी वैद्य अनुज्ञापत्र/परिमिट/लाईसेंस भी पेश नहीं किया गया। उक्त व्यापार स्थल पर अनुदानित घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर मिले 03 घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर ईशान नागपाल पुत्र श्री राजपाल नागपाल मै0 राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया।

2. बाद जांच प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि गैरसायल द्वारा बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000, 3(1)(B),(C), 7(1)(C) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः जब्तशुदा अनुदानित


जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर गैस सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश फरमावे।

3. परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जवाब व साक्ष्य पेश करने हेतु तलब किया गया। गैरसायल की तरफ से श्री रमचन्द्र धारणियां अधिकवक्ता ने बकालतनामा पेश किया। गैरसायल को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये गये। अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी गैरसायल द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः दिनांक 06.05.2022 को जवाब बंद किया जाकर बहस हेतु नियत की गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विभागीय पैरोकार को सुना गया। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि गैर सायल द्वारा बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के व्यापार स्थल पर अनुदानित घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग संबंधी कार्य करके उक्त आदेशों की उल्लंघना की है। अतः जल्द शुदा गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावें।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि फर्द मौका जांच व जक्ती कार्यवाही दिनांक 21.08.2021 जिस पर गैरसायल के हस्ताक्षर है, के अनुसार मौके पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग के सिलेण्डर पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर भट्टी/चूल्हे/बर्नर से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़े पाये गये। गैरसायल द्वारा कोई भी वैद्य अनुज्ञापत्र/परिमिट/लाईसेंस पेश नहीं किया गया।

8. उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर पाया गया कि गैरसायल द्वारा घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000, 3(1)(B),(C), 7(1)(C) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः जल्दशुदा तीन घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर (एस.आर.130665, 755329, 127764) को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

9. निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्री गंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

10. आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला जज (सत्राकर्ता)
श्री श्रीगंगानगर।